GCMS Portal No.- 2025/238

FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी

श्री संदीप चौधरी
सहायक कलक्टर,
नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री खींयाराम पुत्र श्री बीरबलराम जाति–विश्नोई
2. श्री मानाराम पुत्र श्री बीरबलराम जाति–विश्नोई
3. श्री हीराराम पुत्र बीरबलराम जाति–विश्नोई निवासीगण–अलाय,तहसील व जिला–नागौर
4. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर,नागौर
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार,नागौर

किस्म मुकदमा मुंतकिल प्रार्थना पत्र **संख्या** 44 **सन्** 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
26.12.2025	श्री लक्ष्मणराम विश्नोई ने प्रकरण संख्या 66/2025 अन्वान खींयाराम बनाम राजस्थान सरकार के सम्बन्ध में जारी स्थगन आदेश की शिकायत पेश करने पर शिकायत पर पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर(मु0),नागौर की तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। सहायक कलक्टर(मु0),नागौर ने अपने पत्र क्रमांक/2025/599 दिनांक 18.12.2025 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें यह निवेदन किया गया कि चूंकि मामले में शिकायत की गई हैं,उक्त प्रकरण के संबंध में इस न्यायालय की उक्त पत्रावली किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण कर दिया जावे,तो उचित रहेगा। प्रकरण का अवलोकन किया गया। न्यायालय का पीठासीन अधिकारी स्वयं इस प्रकरण को अन्यत्र मुंतकिल करने की मांग की हैं। इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 235 की शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0),नागौर में विचाराधीन प्रकरण राजस्व वाद संख्या 30/2025 एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या 66/2025 की पत्रावली न्यायहित में आगामी सुनवाई हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),जायल में मुंतकिल की जाती हैं। सहायक कलक्टर(मु0),नागौर को निर्देशित किया जाता हैं कि उपरोक्त दोनों प्रकरण आगामी सुनवाई हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), जायल को भिजवाये जावें तथा इसकी सूचना सम्बन्धित पक्षकारों के अभिभाषकों को भी दी जावें। उपरोक्त दोनों प्रकरणों के पक्षकार आगामी सुनवाई हेतु 05.01.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),जायल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति संबंधितों को भिजवायी जावें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर, नागौर कलक्टर नागौर	

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राज.)